न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— रमेशकुमार आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 09/2024

01 इन्द्राज पुत्र बृजलाल जाति सोनी निवासी नई मण्डी घड़साना जिला गंगानगर
02 कमलेश पुत्र बृजलाल जाति सोनी निवासी नई मण्डी घड़साना जिला गंगानगर

......वादीगण

बनाम

01 राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :—07.05.24**

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि चक 13 व 14 बीडी ए में प्रार्थीगण के नाम इन्द्राजकुमार की जगह इन्द्राज व कमलेश की जगह कमलेश सोनी करवाना चाहते है। उक्त नाम शुद्धिकरण हेतु निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया गया। वादपत्र/प्रार्थनापत्र में जमाबंदी, आधारकार्ड की प्रति व सहहिस्सेदारों का शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होनें लिखा है कि चक 13 बीडी 14 बीडी ए मु0नं0 135/26, 135/18 व 134/18 में कुल 9.4836 हैक्टर कृषि भूमि है और उक्त कृषि भूमि में नामान्तरण में इन्द्राजकुमार की जगह इन्द्राज व कमलेश की जगह कमलेश सोनी नाम शुद्धिकरण किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं है। ग्राम पंचायत 3 एसटीआर पंचायत समिति घड़साना का तस्दीक पत्र प्रस्तुत है जिसके अनुसार कमलेश उर्फ कमलेश सोनी पुत्री बृजलाल व इन्द्राजकुमार उर्फ इन्द्राज एक ही व्यक्तिों के नाम है। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार चक 13 बीडी व 14 बीडी ए के मु0नं0 135/26 व 135/18 में कुल 6.4489 हैक्टर इन्द्राजकुमार, कमलेशकुमार, रणवीर सोनी पि0 बृजलाल के नाम दर्ज है जिसमें प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। उक्त मु0नं0 135/26 व 135/18 में विरासतन नामान्तरण चक 13 बीडी में ना0सं0 219 व चक 14 बीडी ए में ना0सं0 91 पर दर्ज हुआ। जिसमें भी प्रार्थीगण का नाम कमलेश व इन्द्राजकुमार दर्ज हुआ था। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादीगण/प्रार्थनापत्र के वादपत्र/प्रार्थनापत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादगत भूमि चक 13 बीडी व 14 बीडी ए के मु0नं0 135/26 व 135/18 में कुल 6.4489 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम में दुरूस्त कर इन्द्राजकुमार की इन्द्राजकुमार उर्फ इन्द्राज व कमलेश की जगह कमलेश उर्फ कमलेश सोनी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का

वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 13 बीडी व 14 बीडी ए के मु0नं0 135/26 व 135/18 में कुल 6.4489 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम इन्द्राजकुमार की इन्द्राजकुमार उर्फ इन्द्राज व कमलेश की जगह कमलेश उर्फ कमलेश सोनी नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)